संचालनालय आयुष, म0प्र0

(भू–तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल–462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail:jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

दिनांकः 10/11/2023

–विज्ञप्ति–

–स्नातक स्पेशल स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड काउंसिलिंग कार्यक्रम (स्टेट कोटा)–

–बी ए एम एस/बी एच एम एस/बी यू एम एस/बी एन वाय एस–

म0प्र0 स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम–2023 के अनुक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग नई दिल्ली/म0प्र0 शासन आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुष महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही एम0पी0 ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराई जायेगी।

1– प्रवेश काउंसिलिंग के अंतर्गत स्पेशल स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड का कार्यक्रम निम्नानुसार है:–

क्रमांक	विवरण	दिनांक एवं समय
1	पंजीयन	दिनांक 16/11/2023 से 19/11/2023
2	अभिलेख सत्यापन	दिनांक 18/11/2023 से 21/11/2023 सायं 06 बजे तक
3	रिक्त सीटो की स्थिति	दिनांक 22/11/2023
4	मैरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 22/11/2023
5	पात्रताधारी अभ्यार्थियों की सूची का प्रकाशन	दिनांक 23/11/2023
6	अभ्यार्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्वाईस फिलिंग)	दिनांक 24/11/2023 से 25/11/2023
7	महाविद्यालयवार मेरिट सूची प्रकाशन (1 x 10 के आधार पर)	दिनांक 26/11/2023 प्रातः 10 बजे
8	महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने की तिथि (रिपोर्टिंग)	दिनांक 28/11/2023 प्रातः 09 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक
9	महाविद्यालय में रिपोर्टेड अभ्यर्थियों की मेरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 28/11/2023 दोपहर 02 बजे
10	महाविद्यालय में अस्थायी प्रवेश	दिनांक 28/11/2023 दोपहर 02:30 बजे से सायं 07 बजे तक

नोटः–

1– प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते है।

2– पंजीयन उपरान्त अभ्यर्थियों को प्रदेश के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय में अपने अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

3– सचिव, एनसीआईएसएम, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक/Ref No AIAPGET/COE/2023 दिनांक 09/11/2023 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार न्यूनतम प्रतिशतक सीमा को 05 प्रतिशतक कम किये जाने के उपरान्त निम्नलिखित नवीन प्रतिशतक सीमा के अनुसार अभ्यर्थी पंजीयन कराकर काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते है:–

Sno	Category/Class	Minimum Cut-off Percentile
1	UR/EWS	45 Percentile
2	OBC/ST/SC	35 Percentile
3	UR-PwD/EWS-PwD	40 Percentile
4	OBC-PwD/ST-PwD/SC-PwD	35 Percentile

4– उपरोक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुष महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।

10/11/23

27/f:\pankaj\2023\counselling 2023-24\vigyapan 2023.docx

5– प्रथम/द्वितीय/तृतीय/स्ट्रे वैकेन्सी चरण के प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी पंजीकृत/सत्यापित अभ्यर्थी स्पेशल स्ट्रे वैंकेन्सी राउण्ड हेतु पात्र होंगे।

6– मैरिट सूची के आधार पर महाविद्यालय में निर्धारित समय में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रकिया में शामिल कर मैरिट कमानुसार रिक्त सीटों पर पर्यवेक्षक की उपस्थिति में महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा।

7– महाविद्यालय में रिपोर्टिंग हेतु निर्धारित समयावधि में उपस्थिति दर्ज न कराने की स्थिति में प्रवेश हेतु कोई दावा मान्य नही होगा।

8– महाविद्यालय में निर्धारित समयावधि में रिपोर्टेड अभ्यर्थियों की महाविद्यालय में पर्यवेक्षक की उपस्थिति में पुनः मैरिट जारी की जायेगी जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

9– नियम/निर्देशों हेतु विभागीय वेबसाईट www.ayush.mp.gov.in एवं एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल www.ayush.mponline.gov.in का सतत् अवलोकन करते रहें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

10/11/23

प्र0संयुक्त संचालक
संचालनालय आयुष म0प्र0